राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक: प.6(65)प्र.सु./अनु-3/2009 जयपुर दिनांक 18.01.2010

आदेश

राजस्थान वक्फ विकास परिषद के गठन हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह संस्था एक स्थायी संस्था होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे आगे जारी नहीं रखने का निर्णय नहीं लिया जाता है।

परिषद के गठन तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया, और परिषद के लक्ष्य, कार्य, शक्तियां, अधिकार-क्षैत्र, एवं कार्यप्रणाली आदि संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होंगी।

इस परिषद का प्रशासनिक विभाग वक्फ विभाग विभाग होगा।

आज्ञा से
Sd/-
उप शासन सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय वक्फ राज्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
4. चेयरमैन, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं वक्फ विभाग
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग,
11. उप शासन सचिव, वक्फ विभाग (सदस्य सचिव) को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड मुस्लिम वक्फ, जयपुर।

Sd/-
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार विभाग

राजस्थान वक्फ विकास परिषद के संचालन एवं विनियमन के लिए निर्देश

कार्यक्षेत्रः-

राजस्थान वक्फ विकास परिषद का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा एवं इसका मुख्यालय जयपुर में होगा।

परिभाषायें एवं व्याख्यायें - इन निर्देशों में:-

1. 'परिषद' से तात्पर्य राजस्थान व्क्फ विकास परिषद से है।
2. 'राज्य' से तात्पर्य राजस्थान राज्य से है।
3. 'राज्य सरकार' से तात्पर्य राजस्थान राज्य की सरकार से है।
4. 'अध्यक्ष' से तात्पर्य राजस्थान वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष से है।
5. 'विभाग' अथवा 'प्रशासनिक विभाग' से तात्पर्य राज्य सरकार वक्फ विभाग से है।

गठनः-

1. परिषद का एक अध्यक्ष होगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जावेगा।
2. अध्यक्ष के अलावा परिषद में 6 गैर-सरकारी सदस्य होगें, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।
3. अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जावेगा।
4. अध्यक्ष का पद किसी भी कारण से रिक्त होने की स्थिति में राज्य सरकार के वक्फ विभाग के मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें।
5. राज्य सरकार के निम्न अधिकारी उक्त परिषद में पदेन सरकारी सदस्य होगें:-
    - प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग,
    - प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग एवं वक्फ विभाग,
    - प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग,
    - प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
    - प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग,
    - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ विभाग,
    - उप शासन सचिव, वक्फ विभाग (सदस्य सचिव)

कार्यकाल:-

परिषद एक स्थायी संस्था के रूप में कार्य करेगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया जाता है।

मनोनीत अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इससे पहले भी अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को बिना कारण बताये हटाया जा सकेगा।

उद्देश्य एवं कार्य:-

परिषद पूर्णतः सलाहकारी परिषद होगी तथा राज्य सरकार को वक्फ सम्पत्तियां के विकास एवं संरक्षण हेतु नीति निर्माण करने एवं राज्य में वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में सलाह देगी।

परिषद समय-समय पर अपनी सिफारिशें प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विविध:-

1. परिषद की सामान्य बैठकें, अध्यक्ष के निर्देश पर अथवा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से व 7 दिवस की सूचना पर, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जावेगी।
2. परिषद की बैठकों के संचालन, कोरम, कार्यप्रणाली आदि आन्तरिक व्यवस्थाओं बाबत् प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं परिषद द्वारा ही किया जायेगा।
3. परिषद को मंत्रालयिक सहायता प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

राजस्थान वक्फ विकास परिषद के संचालन एवं विनियमन के लिए निर्देश

कार्यक्षेत्रः-

राजस्थान वक्फ विकास परिषद का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा एवं इसका मुख्यालय जयपुर में होगा।

परिभाषायें एवं व्याख्यायें - इन निर्देशों में:-

1. 'परिषद' से तात्पर्य राजस्थान व्क्फ विकास परिषद से है।

2. 'राज्य' से तात्पर्य राजस्थान राज्य से है।

3. 'राज्य सरकार' से तात्पर्य राजस्थान राज्य की सरकार से है।

4. 'अध्यक्ष' से तात्पर्य राजस्थान वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष से है।

5. 'विभाग' अथवा 'प्रशासनिक विभाग' से तात्पर्य राज्य सरकार वक्फ विभाग से है।

गठनः-

1. परिषद का एक अध्यक्ष होगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जावेगा।

2. अध्यक्ष के अलावा परिषद में 6 गैर-सरकारी सदस्य होगें, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जावेगा।

4. अध्यक्ष का पद किसी भी कारण से रिक्त होने की स्थिति में राज्य सरकार के वक्फ विभाग के मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें।

5. राज्य सरकार के निम्न 10 अधिकारी उक्त परिषद में पदेन सरकारी सदस्य होगें:-

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग,
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग,
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग,
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग,
- शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग,
- शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग,
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड आॅफ मुस्लिम वक्फ विभाग,
- संयुक्त शासन सचिव, वक्फ विभाग (सदस्य सचिव)

कार्यकाल:-

परिषद एक स्थायी संस्था के रूप में कार्य करेगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया जाता है।

मनोनीत अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इससे पहले भी अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को बिना कारण बताये हटाया जा सकेगा।

उद्देश्य एवं कार्य:-

परिषद पूर्णतः सलाहकारी परिषद होगी तथा राज्य सरकार को वक्फ सम्पत्तियां के विकास एवं संरक्षण हेतु नीति निर्माण करने एवं राज्य में वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में सलाह देगी।

परिषद समय-समय पर अपनी सिफारिशें प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विविध:-

1. परिषद की सामान्य बैठकें, अध्यक्ष के निर्देश पर अथवा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से व7 दिवस की सूचना पर, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जावेगी।
2. परिषद की बैठकों के संचालन, कोरम, कार्यप्रणाली आदि आन्तरिक व्यवस्थाओं बाबत् प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं परिषद द्वारा ही किया जायेगा।
3. परिषद को मंत्रालयिक सहायता प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

श्री अब्दुल सगीर खान दिनांक 19.04.2017 से अध्यक्ष पद पर पदासीन है।